



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक- ~~1038~~/24 एल.ए.
सेवा में, 1031

दिनांक- 20/05/2024

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।
विषय- जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराई थोठा पुलिस चौकी बड़घट से सूखी भलगांव तक
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को
प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- इस कार्यालय के पत्रांक 686/23एल0ए0 दिनांक 18.05.2022। ~~फा F-0/4K/Road/34/118/2018~~
महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण मन्त्रालय एकीकृति क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड
देहरादून का पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/18/2021/एफ0सी0/594 दिनांक 24. 2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति
प्राप्त हुयी हैं सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है:-

क्रम सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	वनभूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	स्वीकार हैं
02	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	स्वीकार हैं।
03	प्रतिपूरक वनीकरण	-
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.476 हे. सिविल सोयम भूमि ग्राम कागा लम्गा द्रोणागिरी में खसरा संख्या 5 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों को एकल प्लांटेशन से बचें।	स्वीकार हैं।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं स्थान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0एस0ए0 1980 की गाइड लाइन के पैरा 2.4(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	कागा लम्गा द्रोणागिरी के खसरा नम्बर 5 के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.476 हे. सिविल भूमि का जिलाधारी चमोली के आदेश संख्या 3733/छब्बस -17 (2020-2021) गोपेश्वर दिनांक 06. अप्रैल 2022 द्वारा वन विभाग के नाम अमलदशमद कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रु0 12,89,255.00 मात्र का भुगतान 28. 02.2022 द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में किया जा चुका है। प्रमाण पत्र1-5 सलग्न।
(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	-
04	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन की और रतभन की लागत परियोजना प्राधिकरण वनीकरण 10 वर्ष तक आरक्षित किया जायेगा। इस योजनाभविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्यावित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान है।	-

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य: (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202//1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt2) दिनांक 18.09.2003 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 10.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.738 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) एन०पी०वी० हेतु देय धनराशि रु० 12,14,862.00 मात्र का भुगतान 28.02.2022 द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में किया जा चुका है। (ख) स्वीकार है, नं. प्रमाण (5-6) संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 170 वृक्षों एवं 62 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	स्वीकार है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल(https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल उक्त धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (7-11)।
10	नवीनतम वन(संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature planttion) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होनी चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।

Bu

12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें, कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1896 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरणीय स्वीकृति इस प्रस्ताव में लागू नहीं है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि के आस-पास कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनों स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों हेतु वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था की जायेगी।
17	संबन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वावृष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायगा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना हेतु चिह्नित स्थलों पर मक डिस्पोजल किया जायेगा।

8-1

24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल है। (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल है। (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।

सलग्न- अनुपालन आख्या चार-चार प्रतियों में।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि०, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20.05.2024
अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१८/२०२१/एफ.सी./५९५

दिनांक: 24/08/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद- चमोली में टी०एस०पी० के अंतर्गत सूर्यथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/34118/2018)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1736/FP/UK/ROAD/34118/2018 दिनांक 26.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.08.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार- जनपद- चमोली में टी०एस०पी० के अंतर्गत सूर्यथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.738 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
 - क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.476 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम कागा लगा द्रोणागिरी में खसरा संख्या 5 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
 - ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
 - ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

1/3 contd..

19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी० सी० नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)

आदेश -

जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.738 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.476 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0-08वीं/यू0सी0पी0 /06/ 18 / 2021/एफ0सी0/594 दिनांक 24.08.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0-08वीं/यू0सी0पी0/06/18/2021/एफ0सी0/594 दिनांक 24.08.2021 की शर्त सं0-3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी जोशीमठ की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.738 है0 वन भूमि के एवज में ग्राम कागा लगा द्रोणागिरी, रा0उ0नि0 क्षेत्र मलारी, तहसील जोशीमठ की ख0खा0सं0-17 के खसरा सं0-05 रकबा 94.606 है0 भूमि मध्ये 3.476 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII (III) / 2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

- कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।
संख्या: 3733/छब्बीस-17 (2021-2022) गोपेश्वर: दिनांक: 06 अप्रैल, 2022
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
 2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 6. प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
 7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/जोशीमठ।
 8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
 9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।

R.K. / रा0उ0नि0 नन्देन/मलारी

THRG
11/04/2022

अभियन्ता
गोपेश्वर

जिलाधिकारी,
चमोली।
P.C. Attested

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

15500

19301-84-605

19200 66-010

1261

24. 20

155

88-216	151	2
--------	-----	---

$\frac{1}{2} \times 10 = 5$

卷一百一十五

6.360

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

17

15

[illegible]

PC 445012

2/21/19

PROVINCIAL GOVERNMENT

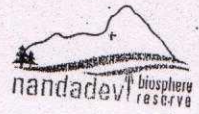
Nh
EE
Buy

पत्रावली सं०
दिनांक

37/08

23/08/2021

उपलब्ध



कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
Fax No.- 01389-222179

E-mail- dfonandadevi@rediffmail.com

10/2/12-1

जोशीमठ, दिनांक, 14 सितम्बर

2021.

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर।

जनपद चमोली में टी० एस० पी० के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बडघट नामक स्थान से सूखी-भलगौव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।
(Proposal No-FP/UK/ROAD/34118/2018)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8वी०/यू० सी० पी०/06/18/2021/एफ० सी०/594 दिनांक 24.08.2021 व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 643/FP/UK/ROAD/34118/2018 दिनांक 4.09.2021.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त हस्तान्तरित वन भूमि की एन० पी० वि०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का डिमाण्ड नोट निम्नप्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

ईको क्लास-

हरियाली का घनत्व-

एन० पी० वि० की दर-

हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल-

एन० पी० वि० की धनराशि-

Vith

0.2

रु० 6,99,000.00

1.738 है०

1.738X 699000.00

=रु० 12,14,862.00

(रु० बारह लाख चौदह हजार आठ सौ बासठ मात्र)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि- 3.476 है०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरप्रति है०- रु० 3,70,902.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि- =3.476 X3,70,902.00 = 12,89,255.4 या = 12,89,255.00

(रु० बारह लाख नवासी हजार दो सौ पचपन मात्र)

12,14,862.00 + 12,89,255.00 = 25,04,117.00

(रु० पच्चीस लाख चार हजार एक सौ सत्रह मात्र)

योग (1+2)

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि का डिमाण्ड नोट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (संलग्न है) द्वारा विषयगत मोटर मार्ग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक प्रति में अधिसूचित अन्य शर्तों की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
नक-यथोपरि।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
ROOPCHANG

भवदीय,

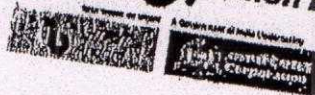
(नन्दाबल्लभ शर्मा)

उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-02-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6134118031
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/18/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(In Rs)	2504117/-

Amount In Words :Twenty-Five Lakh Four Thousand One Hundred and Seventeen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896134118031 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through chx even after 7 working days, then kindly mail a copy of Email: cb0371@unionbankofindia.com

P.C. Attested

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHVAR

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
GOPESHVAR



अधिसारी अभियन्ता
प्रदेशीय खण्ड चमोली नि. नि.
गोपेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर
पिन कोड 245144
28 FEB 2022

(क)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में वृक्षारोपण न होने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.738 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कागा लगगा द्रोणागिरी में 3.476 है0 सिवल भूमि में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

PC Attested


EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
Deputy Engineer


अधिशोसी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

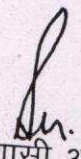
एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.738 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.738 वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन.पी.वी. धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।


EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION R.W.D.
GOPESHWAR


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
Bef गोपेश्वर।

8

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.738 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sukhi-Bhalgaon motor road from Near to SuraiThota Police Chouki at Bardghat. Under State Sector (Length 5.00 Km). Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.738 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities. <i>PC Attested</i>	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Signature
[Signature]
(Asheesh Joshi)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

[Signature]
जिलाधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 29/3/18 at time 11:30 AM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 1.738 hect for the Construction of Sukhi-Bhalgaon motor road from Near to SuraiThota Police Chouki at Bardghat. Under State Sector (Length 5.00 Km) at Joshimath Block in District Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Joshimath sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

PC Attested

अभिषेक एभिषेक
मुख्य कार्यकारी नि. वि.
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

Signature

29/3/18
(Asheesh Joshi)
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
बपोली

प्रपत्र 232

जनता का नाम:-

जनपद चमोली में टाइबल सब प्लान के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 17.2.88 के सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 2-2-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1- श्री. <u>अनूप कुमार जोशीमठ</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री. <u>सुदेश कुमार दुबे</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री. <u>विष्णु प्रसाद पुरोहित</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री. <u>परे-प्रसिंह</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 17.2.88 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

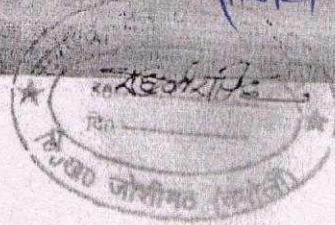
सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

अनूप कुमार जोशीमठ
उप प्रभागीय वनाधिकारी
नियमित सदस्य/सचिव
चमोली

विष्णु प्रसाद पुरोहित
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
नियमित/जोशीमठ।

परे-प्रसिंह
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य

PC Attached



उप प्रभागीय वनाधिकारी
नियमित सदस्य/सचिव
चमोली

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL
जिलाधिकारी चमोली

(23) (4)

PC Attached

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION W D

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

PC Attested
Buy

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOVERNMENT OF U.P.

